



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01072022-236951
CG-MH-E-01072022-236951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2836]
No. 2836]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे]

अधिसूचना

मुंबई, 30 जून, 2022

का.आ. 2979(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (च) के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले के संबंध में महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अतिरिक्त जिलाधिकारी, पालघर जिला, जिलाधिकारी कार्यालय, पालघर	पालघर

[फा. सं. WNC 335/1 Vol. XVII-7]

पवन कुमार सिंह, मुख्य इंजिनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th June, 2022

S.O. 2979(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in the district of Palghar in the State of Maharashtra relating to the districts mentioned in columns (3) of the said table for the execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S. No.	Officer	Districts
(1)	(2)	(3)
1.	Additional District Collector, Palghar, Office of District Collector and District Magistrate, Palghar.	Palghar

[F. No. WNC 335/1 Vol. XVII-7]

PAWAN KUMAR SINGH, Chief Engineer /Construction-I